(1)

उपजिलाधिकारी
सादाबाद।

महोदय,

प्रार्थी चौधरी गुलाब सिंह महाविद्यालय तह0 सादाबाद जनपद हाथरस द्वारा–सचिव हरिओम चौधरी पुत्र श्री गुलाब सिंह कौम जाट निवासी ग्राम मानिकपुर तह0 सादाबाद जिला हाथरस ने अपने प्रार्थना पत्र बावत जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत 135 (1) के प्रारूप पर आबादी घोषित किये जाने की आख्या निम्न प्रकार है–

ग्राम का नाम	भूमिधरी का नाम व निवास स्थान	खाता खतौनी संख्या	गाटा संख्या	जोत का क्षेत्रफल (है0)	लगान या मालगुजारी	गैर कृषि प्रयोग के लिये उपर्युक्त जोत का क्षेत्रफल		गैर कृषि प्रयोग के लिये जोत का जिस काम में प्रयोग किया जाता है
						गाटा सं0	क्षेत्रफल (है0)	
मानिकपुर	चौधरी गुलाब सिंह महाविद्यालय तह0 सादाबाद जनपद हाथरस द्वारा–सचिव हरिओम चौधरी पुत्र श्री गुलाब सिंह कौम जाट निवासी ग्राम मानिकपुर तह0 सादाबाद जिला हाथरस	66	472	0.837	33.75	472	0.519–1/2 है0	आबादी हेतु
मानिकपुर	चौधरी गुलाब सिंह महाविद्यालय तह0 सादाबाद जनपद हाथरस द्वारा–सचिव हरिओम चौधरी पुत्र श्री गुलाब सिंह कौम जाट निवासी ग्राम मानिकपुर तह0 सादाबाद जिला हाथरस	20	473	0.782	31.60	473	0.391 है0	आबादी हेतु

सचिव
चौधरी गुलाब सिंह महाविद्यालय

उपरोक्त गाटा सं0 472 रकबा 0–837 हैक्टेयर लगान 33–75 रुपया एवं गाटा सं0 473 रकबा 0–782 है0 लगान 31–60 रुपया का मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा नक्शा नजरी तैयार किया गया जो साथ में संलग्न है। गाटा संख्या 472 रकबा 0–837 हैक्टेयर में से क्षेत्रफल 0.519–1/2 है0 व गाटा सं0 473 रकबा 0–782 है0 में से क्षेत्रफल 0–391 है0 भूमि पर कोई कृषि नहीं हो रही है तथा आबादी [illegible] प्रयोग में आ रही है।

अतः उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत श्री चौधरी गुलाब सिंह महाविद्यालय [illegible] तह0 सादाबाद जनपद हाथरस द्वारा–सचिव हरिओम चौधरी पुत्र श्री गुलाब सिंह कौम जाट निवासी [illegible] मानिकपुर तह0 सादाबाद जिला हाथरस के मौजा मानिकपुर की गाटा संख्या 472 रकबा 0–837 हैक्टेयर में [illegible] है0 भूमि को आ[illegible]
[illegible] है व गाटा सं0 473 रकबा 0–782 है0 में से क्षेत्रफल 0–391

जो सामान्यतया अकृषिक हो जाती है, के वास्तविक भू-उपयोग का इन्द्राज न होने के कारण विक्रय अभिलेखों में उसे कृषि भूमि के रूप में दिखाकर कम मूल्यांकन करके करापवंचन किया जा रहा है। इस प्रवृति को रोकने के लिए उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम1950की धारा-143 में प्राविधान है कि धारा-143 के प्रख्यापन तथा उ0प्र0ज0वि0एवं भूमि व्य0 अधिनियम 1952 के नियम 135 एवं 136 में दी गई व्यवस्थाओं के तहत जो भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जा रही है,प्रख्यापन कर उसको अभिलेखों में दर्ज कराने की नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

पत्रावली पर उपलब्ध नायब तहसीलदार सहपऊ की जांच आख्या दिनांक 27.08.2013 के साथ संलग्नक नकल खतौनी,खसरा व मौके का नक्शा नजरी आदि अभिलेखों का अवलोकन किया गया, वादी/प्रार्थी को सुना गया। शासनादेशों के कम में मौजा मानिकपुर तहसील सादाबाद के खाता संख्या 66 खसरा संख्या 472 रकबा 0.837 हे0 लगानी 33.75 रुपये में से रकबा 0.618/1/280 व खाता संख्या 20 गाटा संख्या: 473 रकबा 0.782 लगानी 31.60 में से रकबा 0.391हे0 आबादी के रूप में प्रयोग हो रही है, जो राजस्व अभिलेखो में चौ0 गुलाबसिंह महाविद्यालय तहसील सादाबाद जनपद-हाथरस द्वारा सचिव श्री हरिओम चौधरी पुत्र श्री गुलाबसिंह निवासी मानिकपुर के नाम दर्ज कागजात है। उक्त भूमि को स्टाम्प अपवंचना रोकने के उद्देश्य से कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन हेतु जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के नियम 135 (1)के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। यदि प्रश्नगत भूमि के मध्य धारा-132 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित होने पर धारा-143 का प्रख्यापन आदेश शून्य/निष्प्रयोज्य होगा। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सादाबाद को अभिलेखों में अंकित करने हेतु भेजी जाय। उप निबन्धक सादाबाद को उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्य0 अधिनियम की धारा-143 सपठित नियम 137 में अपेक्षानुरूप इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत निबन्धन हेतु इस आशय से भेजी जाये कि अपना अनुलेख लिपिबद्ध करने व बाद कि यथावत् निबन्धित (दैनिक रजिस्टर) में कर, अपने हस्ताक्षर सहित न्यायालय में वापिस करें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल अभिलेखागार माल की जावे।

दिनांक:अगस्त 31 ,2013

उप जिलाधिकारी,सादाबाद
जनपद-हाथरस।

निरस्त निरस्त

वाद संख्या 65 /2013 न्यायालय-उपजिलाधिकारी,सादाबाद जनपद-हाथरस।

अन्तर्गत धारा 143 जे0ए0एक्ट

चौ0 गुलाबसिंह महाविद्यालय मानिकपुर द्वारा सचिव हरिओम चौधरी मौजा-मानिकपुर,तहसील सादाबाद

बनाम

उ0प्र0सरकार

निर्णय/आदेश

श्री गुलाबसिंह निवासी मानिकपुर तहसील सादाबाद जनपद-हाथरस द्वारा इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र श्री हरिओम चौधरी पुत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत धारा 143 इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के नाम मौजा मानिकपुर तहसील सादाबाद के खाता संख्या 86 खसरा संख्या 472 रकबा 0.837 है0 लगानी 33.75 रूपये में से रकबा 0.618/1/2है0 व खाता संख्या 20 गाटा संख्या 473 रकबा 0.782 लगानी 31.60 में से रकबा 0.391है0 भूमि पर प्रार्थी काबिज व दखील है,संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है। मौके पर किसी प्रकार की फसल व खेती नहीं हो रही है। उक्त भूमि आबादी के रूप में प्रयोग हो रही है। कृषि के रूप में प्रयोग नहीं की जा रही है,को आबादी घोषित किया जाकर भू0 राजस्व को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल खतौनी व खसरा प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार सहपऊ से जाँच आख्या प्राप्त की गई।

नायब तहसीलदार सहपऊ की जाँच आख्या दिनांक27.08.2013 जिसके साथ खतौनी,खसरा व मौके का नक्शा नजरी भी संलग्न किया गया है, उक्त आख्या में अंकित किया गया है कि प्रार्थी मौजा मानिकपुर तहसील सादाबाद के खाता संख्या 86 खसरा संख्या 472 रकबा 0.837 है0 लगानी 33.75 रूपये में से रकबा 0.618/1/2है0 व खाता संख्या 20 गाटा संख्या 473 रकबा 0.782 लगानी 31.60 में से रकबा 0.391है0 भूमि पर काबिज व दखील है। प्रार्थी द्वारा आबादी के रूप में प्रयोग हो रही है,को आबादी घोषित कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के नियम 135 (1) के अन्तर्गत किसी प्रकार की फसल व खेती नहीं हो रही है। मौके पर चौ0 गुलाबसिंह महाविद्यालय तहसील सादाबाद जनपद-हाथरस द्वारा सचिव श्री हरिओम चौधरी पुत्र श्री गुलाबसिंह निवासी मानिकपुर के नाम,आबादी के रूप में प्रयोग हो रही है। उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। नायब तहसीलदार सहपऊ की आख्या के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

राजस्व परिषद अनुभाग-05 के पत्रांक1669? /5-28ए/08 दिनांक 22.06.2010 में उल्लेख है कि संक्रमणीय भूमिधर वाला भूमिधर अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्वर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है,से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है,तो परगना के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर स्वमेव अथवा प्रार्थना-पत्र पर जाँच करने के पश्चात,जो नियत की जाये,उसका प्रख्यापन कर सकता है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्य0अधिनियम 1952 के नियम 135 एवं 136 में धारा 143 के अन्तर्गत प्रख्यापन किये जाने की विस्तृत प्रकिया दी गई है। परिषद द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि शहरी क्षेत्र की आबादी के आस-पास की कृषि भूमि-

Hariom Cha
Secreta